उसका उत्पादन कितना होता है और उसमें आदिवासी क्षेत्र का हिस्सा कितना है ;

(ग) क्या सरकार ने "रामतिल" के लिये समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या विदेशों में "रामतिल" की कोई मांग है; यदि हां, तो सरकार द्वारा इसका निर्यात करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) क्या "रामतिल" के निर्यात की संभावनाओं को देखते हुये इसकी फसल पर कोई अनुसंधान कार्य शुरू किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) रामतिल एक महत्वपूर्ण फसल है, जो मध्य प्रदेश के जनजातीय किसानों द्वारा उगायी जाती है ।

(ख) 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में रामतिल के अन्तर्गत अनुमानतया कुल 2.25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र है । इसमें से लगभग 2.05 लाख हैक्टेयर क्षेत्र राज्य के आठ प्रमुख जनजातीय जिलों में है । 1990-91 के दौरान, मध्य प्रदेश में रामतिल का उत्पादन 48,000 मीटरी टन होने की आशा है ।

(ग) जी नहीं । रामतिल एक गौण तिलहन है । मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तोरिया-सरसों और कुसुम जैसे अन्य तिलहनों की तुलना में इसका उत्पादन नगण्य है । अत: रामतिल के लिये मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(घ) जी, हां । इस मद का निर्यात नेफेड और ट्राईफेड के माध्यम से किया जाता है ।

(ङ) जी, हां । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपनी अखिल भारत समन्वित तिलहन अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत रामतिल के सुधार पर अनुसंधान कर रहा है ।

राष्ट्रीय जल नीति

*297. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आशिया :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय जल नीति में कतिपय संशोधन करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान नीति को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं तथा राज्यों के मुख्य मंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के मंत्री इसके सदस्य हैं, ने सितम्बर, 1987 में आयोजित अपनी बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जल नीति अपनायी थी । इस समय इस नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस नीति के क्रियान्वयन में अब तक की गयी प्रगति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है । सरकार द्वारा सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन सितम्बर, 1990 में किया गया है जो नीति के क्रियान्वयन पर की गयी प्रगति की समय-समय पर पुनरीक्षा करेगा । इस बोर्ड की अब तक दो बैठकें आयोजित की गयी हैं ।

विवरण

राष्ट्रीय जल नीति के क्रियान्वयन में की गयी प्रगति

मद	उठाए गए महत्वपूर्ण कदम
सूचना प्रणाली	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने आकड़े एकत्र करने के लिए नेटवर्क स्थापित किए हैं ।
	जल संसाधन मंत्रालय ने "जल सूचना विधेयक" तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल बोर्ड की एक उप-समिति गठित की है । उप-समिति ने अब तक दो बैठकें की हैं ।
अधिकतम जल उपलब्धता	कर्नाटक और राजस्थान ने बहुप्रयोजनी यूनिटें स्थापित की हैं ।
	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने बैसिनो/उपबेसिनों के लिए जल संतुलन अध्ययन तथा राष्ट्रीय परिप्रेक्षक योजना के प्रायद्वीपीय नदी घटक के लिए सम्पर्क प्रस्तावों के वास्ते अध्ययन शुरू किए हैं । 7 सम्पर्क के लिए पूर्व व्यवहार्य रिपोर्ट तयार कर ली गयी हैं तथा वे राज्य सरकारों को उनकी सहमति हेतु भेज दी गयी हैं ।
	जल संसाधन मंत्रालय ने "नदी बेसिन संगठनों" पर राष्ट्रीय जल बोर्ड की एक उप समिति गठित की है ।
	केंद्रीय जल आयोग ने नदी बेसिन मास्टर योजना तैयार करने के लिए राज्यों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं ।
परियोजना आयोजना	पर्यावरणिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए फरवरी, 1990 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक पर्यावरणिक प्रबोधन समिति गठित की गई है ।
	"राष्ट्रीय पुनर्वास नीति : का प्रारूप तैयार करने के वास्ते जल मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल बोर्ड की एक उप समिति गठित की है ।
संरचनाओं की सुरक्षा	केंद्रीय जल आयोग ने भारत में बांधों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं । बांध सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति पुनरीक्षाओं के आदान-प्रदान तथा उपायों की पुनरीक्षा के वास्ते एक मंच के रूप में कार्य करती है ।
भूजल विकास पेयजल	केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु अध्ययन शुरू कर दिए हैं । केंद्रीय जल आयोग ने नीति में इन दिशानिर्देशों पर उचित ध्यान देने के लिए सभी राज्यों को एक पत्र लिखे हैं तथा आयोग परियोजना रिपोर्टों की तकनीकी जांच करते समय इसे ध्यान में रखता है ।
सिंचाई	राज्य सरकारों को सृजित और उपयोग की गयी क्षमता के बीच के अन्तर को समाप्त करने हेतु कमान क्षेत्र विकास पद्धति अपनाने की सलाह दी गयी है ।

मद	उठाए गए महत्वपूर्ण कदम
जल कोटी	केंद्रीय जल आयोग ने नदियों की स्थिति का आकलन करने के लिए जल कोटी मांडलिंग शुरू की है । केन्द्रीय जल आयोग ने इन पहलुओं पर केंद्रीय गंगा प्राधिकरण और पर्यावरण एंव वन मंत्रालय की भी सहायता की है । केंद्रीय जल आयोग सिंधु को छोड़कर सभी नदी बेसिनों को शामिल करते हुए चनिदा केन्द्रों पर नियमित जल वैज्ञानिक अवलोकनों के भाग के रूप में जल कोटि प्रबोधन कर रहा है ।
जल जोनिंग	केंद्रीय जल आयोग ने जल उपलब्धता के संबंध में आर्थिक कार्यकलाप को विनियमित करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखे हैं ।
जल का संरक्षण	देश में लगभग 600 स्थानों पर अप्रैल/जून, 1991 में आयोजित किए गए जल संसाधन दिवसों के माध्यम से राष्ट्रीय परिचर्चा के वास्ते थीम रूप में इस विषय का चयन किया गया था ।
बाढ़ नियंत्रण और प्रबन्ध	बाढ़ प्रूफिंग उपायों के वास्ते अलग से अभिज्ञात किए गए प्रावधान को मंत्रालय के वर्ष 1991-92 के बजट में शामिल किया गया है ।
सूखा प्रबंध	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने सूखा अध्ययन प्रभाग अध्ययन स्थापित किया है । राष्ट्रीय जल बोर्ड ने 30-7-1991 को हुई अपनी बैठक में राज्यों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के वास्ते "सूखा प्रवण क्षेत्रों के जल ससांधन के प्रबन्ध" पर अपनी समिति गठित करने का निर्णय किया है।
विज्ञान और प्रोद्योगिकी	जल संसाधन मंत्रालय ने इस संबंध में विकासों की पुनरीक्षा तथा प्रबोधन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी परामर्श-दात्री समिति का गठन किया है । इस समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं ।
	कद्रीय जल आयोग की केंद्रीय प्रशिक्षण यूनिट ने अधिकारियों के लिए संशोधित नदी बेसिन आयोजना और प्रबन्ध में अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ।
सामान्य	मणिपुर और सिक्किम सरकारों ने राष्ट्रीय जल नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्यरत दल गठित किए हैं तथा उड़ीसा ने इस उद्देश्य के वास्ते स्थायी समिति संगठित की है ।